

मूल हिंदी में

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3521  
11.08.2025 को उत्तर के लिए

### लैंकसेस उद्योग द्वारा उत्पन्न प्रदूषण

3521. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विगत पंद्रह वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लैंकसेस उद्योग, नागदा के संचालन अनुमोदन की शर्तों के उल्लंघन एवं प्रदूषण की शिकायतों की जांच के दौरान गंभीर खामियां पाई गई हैं;
- (ख) यदि हां, तो उल्लंघन किए गए नियमों का ब्यौरा क्या है और बोर्ड द्वारा क्या टिप्पणियां एवं सिफारिशें की गई हैं तथा उद्योग के विरुद्ध अब तक क्या कानूनी कार्रवाई की गई है;
- (ग) क्या लैंकसेस उद्योग द्वारा उत्पन्न खतरनाक एवं अम्लीय अपशिष्ट को ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से उज्जैन, इंदौर संभाग की विभिन्न नदियों एवं नालों में डाला गया तथा द्यूबवेल खोदकर भूमिगत जलधाराओं एवं पाइपों/नालों के माध्यम से चंबल नदी में छोड़ा गया; और
- (घ) यदि हां, तो संबंधित उद्योग एवं ट्रांसपोर्टरों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है?

### उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री  
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): क्षेत्र में उद्योगों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों के प्रत्युत्तर में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और सीपीसीबी के क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल द्वारा पिछले पंद्रह वर्षों में मैसर्स लैंकसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित नागदा शहर के उद्योगों का कई बार निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान मैसर्स लैंकसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए कुछ उल्लंघनों में से स्टैक उत्सर्जन निगरानी उपकरण की स्थापना न करना, प्रदूषित जल को अपशिष्ट शोधन संयंत्र (ईटीपी) में छोड़ने की सुविधा का अभाव, परिसंकटमय अपशिष्ट का अनधिकृत वाहनों द्वारा परिवहन आदि शामिल हैं। सीपीसीबी ने उद्योगों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)ख के तहत निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2022 में, एक शिकायत के जवाब में मैसर्स लैंकसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का फिर से निरीक्षण किया गया। दिनांक 09.01.2023 को एमपीपीसीबी को एक पत्र जारी कर मैसर्स लैंकसेस प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया गया कि वे मेहतावास, दादावाड़ी सीवेज पिट में सीवेज पंपिंग क्षमता बढ़ाएँ, आवश्यक शोधन के बाद अपने संयंत्र में सीवेज का उपयोग बढ़ाएँ और नाले के अंतिम छोर पर 2-3 फीट की दीवार बनाएँ।

माननीय एनजीटी के दिनांक 09.02.2023 के निर्देश के अनुपालन में, मैसर्स लैंकसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का दिनांक 21.03.2023 को एक संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। यह पाया गया कि मैसर्स लैंकसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नागदा से शून्य द्रव उत्सर्जन हुआ।

\*\*\*\*\*